



# उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लेखराज मार्केट-2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ0प्र0)

टेलीफोन:91-522-2324000/01, फ़ैक्स: 91-522-2344002, टोल फ्री: 18001805412

ई-मेल: [upbocboardlko@gmail.com](mailto:upbocboardlko@gmail.com)

## ::अधिसूचना::

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ बनाई गई "शौचालय सहायता योजना" पर शासन के पत्र संख्या-31/2018/1635/36-2-2018-12(जी)/18 दिनांक 26.10.2018 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। अनापत्ति के क्रम में योजना अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

संलग्नक- उपर्युक्तानुसार।

(सतीश पाल)  
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 3955-61

/भ0नि0बोर्ड (1611)-2018

दिनांक - 30/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. विशेष सचिव, श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या-31/2018/1635/36-2-2018-12(जी)/18 दिनांक 26.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ।
6. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
7. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड एवं संशोधन करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल हेतु।

SRM  
(सतीश पाल)  
सचिव, बोर्ड।

**उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**  
**:: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "शौचालय सहायता योजना" ::**

1. **योजना का नाम :-** "शौचालय सहायता योजना"।
2. **योजना का उद्देश्य :-** "स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त कराना एक अत्यंत उपयोगी परन्तु चुनौतीपूर्ण कार्य है। निर्माण श्रमिक समाज के निर्धन वर्ग से आते हैं, जिनके पास शौचालय निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके घरों में शौचालयों का निर्माण कराने में सहयोग प्रदान करना है। जिससे कि प्रदेश को खुले में शौचमुक्त करने में सहयोग प्रदान किया जा सके।
3. **पात्रता :-** योजना के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की स्थिति में पात्रता का निर्धारण निम्न प्रकार किये जाने का प्रावधान किया गया है:-
  1. योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जिनके अपने आवास हैं किंतु उनमें शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है और उसे किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार का लाभ प्राप्त न हुआ हो।
  2. लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान जमा किया जा रहा हो।
  3. परिवार "एक ईकाई" के रूप में लिया जायेगा।
  4. लाभार्थी के पास आधार पंजीयन एवं राष्ट्रीकृत बैंक के सी0बी0एस0 ब्रान्च में खाता होना अनिवार्य है।
4. **देय हितलाभ :-** योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन करने पर रू0 12000/- (बारह हजार रू0) अनुदान के रूप में दिया जायेगा। यह धनराशि दो किस्तों में उनके बैंक खाते में दी जायेगी। प्रथम किस्त रू 6000/- (छः हजार रू0) की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में तथा द्वितीय किस्त रू 6000/- (छः हजार रू0) की धनराशि शौचालय निर्माण के उपरांत उनका उपयोग प्रारम्भ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
6. **आवेदन प्रक्रिया :-** आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
  1. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा निर्गत पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी।
  2. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित कॉपी।
  3. बैंक के सी0बी0एस0 ब्रान्च में खाते की पुष्टि हेतु पास-बुक की स्व-प्रमाणित कॉपी।
  4. आवेदक द्वारा इस आशय का दिया गया घोषणा पत्र कि उन्हें किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
7. **आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया :-**
  1. सर्वप्रथम जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त से सम्पर्क कर अपने जनपद के उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड की वेबसाइट से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची प्राप्त की जायेगी।

*SR0*

*SR0*

उक्त सूची एवं बेसलाईन सर्वे का मिलान कर सचिव ग्राम पंचायत/स्वच्छाग्रही के द्वारा ग्राम पंचायतवार, पंजीकृत श्रमिक/लाभार्थीवार सर्वे कराकर (संलग्न-1) शौचालय विहीन श्रमिकों की सूची तैयार की जायेगी। ग्राम पंचायतवार शौचालय विहीन पंजीकृत श्रमिकों की सूची का **Cross verification** सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं खण्ड प्रेरक के द्वारा किया जायेगा।

2. ऐसे श्रमिक जो कि पूर्व में पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है उनका नवीनीकरण श्रम विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कराया जायेगा।
3. सहायक विकास अधिकारी पंचायत/खण्ड प्रेरक द्वारा तैयार की गयी शौचालय विहीन पंजीकृत श्रमिकों की उक्त सूची के आधार पर शौचालय निर्माण के लिए पंजीकृत श्रमिकों से सचिव ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न आवेदन पत्र पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे (संलग्न-2)। प्राप्त आवेदन के आधार पर पंजीकृत श्रमिकों को शौचालय निर्माण हेतु संलग्न प्रारूप (संलग्न-3) पर स्वीकृत पत्र निर्गत किये जायेंगे, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि शौचालय निर्माण की प्रथम किस्त रू0 6000/- की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में तथा द्वितीय किस्त रू0 6000/- निर्माण होने के उपरान्त शौचालय का उपयोग प्रारम्भ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से श्रमिक के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा शौचालय विहीन श्रमिकों की संकलित सूची अपनी संस्तुति सहित श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर शौचालय निर्माण की प्रथम किस्त रू0 6000/- की धनराशि प्रति शौचालय की दर से उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तांतरित की जायेगी।
6. पंजीकृत शौचालय विहीन श्रमिकों द्वारा शौचालय का निर्माण पूर्ण करने व उसका उपयोग करने का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (संलग्न-4) सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका सत्यापन खण्ड प्रेरक द्वारा किया जायेगा। खण्ड प्रेरक के सत्यापन उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र और शौचालय का प्रयोग प्रारंभ कर दिये जाने की रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी (प0) की संस्तुति सहित जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा संकलित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं शौचालय की प्रयोग प्रारंभ कर दिये जाने संबंधी श्रमिकवार रिपोर्ट मूल रूप से श्रम विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी व उसकी एक छायाप्रति अभिलेख हेतु अपने कार्यालय में संरक्षित की जायेगी।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर शौचालय निर्माण की द्वितीय किस्त रू0 6000/- की धनराशि प्रति शौचालय की

दर से उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तांतरित की जायेगी।

8. शौचालय निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्री से कराये जाने एवं निर्माण हेतु सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सहयोग प्रदान करते हुये कराया जायेगा।
  9. प्रत्येक दशा में दो गढ़े वाले लीच पिट शौचालय (टिवन पिट तकनीकी) वाले शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।
  10. पंजीकृत श्रमिकों को शौचालय निर्माण एवं प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिये Inter Personal Communication (IPC) एवं Behaviour Change Communication (BCC) आदि गतिविधियाँ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों द्वारा की जायेगी।
  11. निर्मित होने वाले शौचालयों के वित्तीय स्रोत में श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन धनराशि यूनीक कोडिंग के समय अवश्य लिखा जायेगा।
  12. इसके उपरांत निर्मित शौचालयों का लाभार्थीवार एम0आई0एस0 डेटा इंट्री के अंतर्गत C01 Entry Module for GP Level Beneficiary Progress पर कराया जायेगा तथा वित्तीय प्रगति के Option के बिंदु Toilet Constructd Form पर Non SBM पर दिखायी जायेगी एवं बिंदु Non SBM Other Scheme Name पर उ0प्र0 कर्मकार कल्याण बोर्ड दर्शाया जायेगा।
  13. प्रत्येक निर्मित शौचालय पर यूनीक कोडिंग करने व Geo-Tagging सहित भारत सरकार की वेबसाईट पर फोटो अपलोड करने का दायित्व संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।
  14. जनपद द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक विगत माह की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर पंचायती राज अधिकारी के पोर्टल पर अपडेट की जायेगी (संलग्नक-5)।
8. कठिनाईयों का निवारण :- योजना में आने वाली कठिनाईयों का निवारण संबंधित जिले के श्रम विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों यथा उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी के माध्यम से एवं आवश्यकता पड़ने पर सचिव, बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, बोर्ड के निर्देशानुसार किया जायेगा।

Sru

801 2